प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ0प्र0

ई–मेल आई0डी0:aldda@rediffmail.com

एन0आई0टी0 सं0 : 10 /मु0अ0 /वि0प्रा0 / 2025

दिनांक 23 सितम्बर,2025

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका में अंकित कार्य हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से कार्य की निविदा सपठित नियम व शर्तों के अधीन टू–बिड सिस्टम में आमंत्रित की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य GST सहित (रू0 में)	निर्धारित श्रेणी	कार्य अवधि	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित कार्य						
1	कालिन्दीपुरम/देवप्रयागम आवास योजना के सीवर लाइन को पूर्व में निर्मित एस0टी0पी0 से निष्प्रयोज्य करते हुए ट्रिपल आई0टी0 30 मी0 रोड पर स्थित ग्रेविटी सीवर लाइन में संयोजन करने एवं 12 मी0 सड़क पर भूखण्ड के सामने सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	27.58	0.56	590/–	श्रेणी–सी	02 माह	07–10–2025 02:00 PM

नियम व शर्तेः–

1. निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) या धरोहर धनराशि निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
2. विस्तृत विवरण सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 24–09–2025 को अपराह्न 02:00 बजे से उत्तर प्रदेश शासन की ई–प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं।
3. निविदायें निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि वाले दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे प्राधिकरण समागार में खोली जायेंगी।
4. निविदा आमंत्रण सूचना से सम्बन्धित संशोधन/परिमार्जन समाचार पत्र में प्रकाशित न कर उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
5. निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या–00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू0टी0आर0 स्लिप (पृथक–पृथक) की स्कैन कापी ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा शुल्क या धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
6. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश होने पर उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
7. निविदादाता का आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
8. निविदा प्रपत्र एवं इसके साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
9. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा में दी गई दरें 03 माह तक मान्य होगी।
11. निविदा दर 10% से अधिक निम्न होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–622/23–12–2012/08टी0सी0 दिनांक 08–06–2012 के अनुसार अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी निविदा धनराशि पर देय होगी।
12. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
13. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव निविदा प्रपत्र के एनेक्जर–1 पर अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
15. निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org पर एवं निविदा प्रपत्र ई–पोर्टल वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट

Scanned with OKEN Scanne

को समय–समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

16. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/शासकीय विभाग में पंजीकृत फर्में निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। प्राधिकरण में अपंजीकृत सफल निविदादाता को प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

18. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली–सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्पादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से डिबार कर दिया जायेगा।

19. स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their dependent) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

20. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट का रिश्तेदार (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

21. निविदादाता को प्रस्तर–20 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त एक घोषणा पत्र इस आशय का देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, सम्बन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कम्पनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण अविलम्ब निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटन है तो उसको भी समाप्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण अविलम्ब जब्त कर लेगा।

22. आवेदक या पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार पर कम्पटीशन एक्ट, 2002 के समस्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

23. विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 तथा यू0पी0पी0सी0एल0 से अनुमोदन लेने एवं कार्य को यू0पी0पी0सी0एल0/नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

24. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

25. प्राधिकरण में सभी निर्माण/विकास/अनुरक्षणीय कार्यों हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष निर्धारित है।

26. 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समापन तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।

27. निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि की RTGS/NEFT के माध्यम से जमा होने की स्लिप/रसीद की मूलप्रति निविदा खोलने के अगले कार्य–दिवस में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

28. निविदादाताओं द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप ही वांछित प्रपत्रों को टेक्निकल बिड में अपलोड किया जाये एवं उस पर पेज नम्बर डाला जाये तथा कोई अनावश्यक प्रपत्र न लगाया जाय।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता